

10/11/22

पत्रावली ~~सुनी~~ पत्रांगली बरस हेतु
आइया दिनांक 10.01.2023 को पेश की

की

10/11/23 वकुलाय उप। वकील प्राची उपस्थित। वकील प्राची की बरस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अप्राथमिकता के किरू रुक पक्षी कार्यवाही से चुकी है अप्राथमिकता द्वारा वाद सूचना तामील भी हाजिर नहीं आयी है। तथा ना ही किसी लीटर के माध्यम से आकर जवाब/आपत्ति पेश की है। अतः प्रार्थना पत्र में आगे कोई कार्यवाही सीधे नहीं रही है। प्राची का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 22 RTA का स्वीकार किया जाता है तथा अतिरिक्त दिनांक 18/8/2022 को जारी रुक पक्षी अतिरिक्त प्राची आदेशों को पूरा वाद के अतिरिक्त निस्तारण तक पुर्णतः किया जाता है। निस्तारण निर्णय नम्बर से कर होकर वाद जापत कार्यवाही पूरा वाद के साथ नहीं रहे। की